न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

विजय सिंह बनाम सुभकरण

किस्म मुकदमा 225 RTA मु. नं० 49 वर्ष 2021

दिनांक	आज्ञा पत्र	
06.07.2021	अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर वकील अपीलांट को सुना गया। प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 24/2020 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 04.09.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। प्रस्तुत अपील अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्व है। यद्यपि अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्व अपील पोषणीय नही है तथापि विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में आदेश 39 नियम 3 की पालना सुनिश्चित नही की गई है। अत आदेश 39 नियम 3 की पालना में विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित प्रकरण धारा 212 को आगामी दो माह में अन्तिम रूप से निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये जाते है। प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। (राजवीर सिंह चौधरी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर	